रोज़गार- सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (ई. ऐल. आई.): समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक प्रतिबद्धता

भारत की विकास गाथा का मूल आधार उसका परिश्रमी श्रमबल रहा है, जिसकी ऊर्जा, समर्पण और उत्पादकता ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं और विकसित भारत@2047 का सपना साकार करना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि युवा भारत की आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से संबोधित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है।

हम वर्षों से कहते आ रहे थे कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश, उसकी युवा आबादी, हमारी सबसे बड़ी ताक़त है। लेकिन लंबे समय तक इस शक्ति का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। अब समय आ गया है कि हम 'संभावना से समृद्धि' की ओर बढ़ें। युवाओं को केवल प्रशिक्षित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें रोज़गार योग्य, वित्तीय रूप से सशक्त, और संगठित क्षेत्र में शामिल करना आवश्यक है।

इसी प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में रोज़गार- सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना- ई. ऐल. आई. (Employment Linked Incentive – ELI) की घोषणा की। यह योजना सिर्फ एक नीतिगत पहल नहीं, बल्कि सरकार का वादा है, एक राष्ट्रव्यापी संकल्प, जो 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना को इंगित करता है।

ई. ऐल. आई. योजना सतत रोजगार को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित है, जो कि उद्योगों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डालती। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाना सरकार की सदैव प्रमुख प्राथमिकताओं में रहा है। इस योजना के तहत सृजित सभी नौकरियाँ, संगठित क्षेत्र में होंगी, जिससे कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी, चिकित्सा बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षाओं के तहत महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। श्रम बाजार के आपूर्ति और मांग, दोनों पक्षों को प्रोत्साहित करके ई. ऐल. आई. योजना भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण की ओर एक साहसिक कदम है। यह भारत के विशाल और विविध कार्यबल के लिए सम्मानपूर्ण और विकासोन्मुख रोजगार सृजित करने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

दुनिया के कई देशों जैसे सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और तुर्की ने भी रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजनाएं अपनाई हैं। भारत की ई. ऐल. आई. योजना भी इन मॉडलों के अनुरूप, सरल, विस्तार-योग्य और प्रत्यक्ष लाभ वितरण प्रणाली पर आधारित है।

सरकार की प्रतिबद्धता: युवाओं को अधिकार, अवसर और सुरक्षा

ई. एल. आई. योजना का लक्ष्य दो वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक संगठित रोजगार का सृजन प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं। इससे न केवल युवाओं को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, बल्कि उन्हें वित्तीय साक्षरता और कार्यस्थल पर अनुभव का लाभ भी मिलेगा।

सरकार ने ई. ऐल. आई. योजना के लिए रु. 99,446 करोड़ का बजट प्रावधान किया है, जिसमें रु. 248 करोड़ प्रशासनिक व्यय हेतु निर्धारित किए गए हैं। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा

घोषित रोजगार, कौशल और उद्यमिता की पांच प्रमुख पहलों में से एक है। हम पहले ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) का उन्नयन और व्यावसायिक प्रशिक्षण (इंटर्नशिप)- आधारित कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। अब ई. ऐल. आई. योजना के माध्यम से युवाओं को कौशल से औपचारिक रोजगार की दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा।

योजना के दो स्तंभ: युवाओं के लिए प्रवेश और नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन

भाग- ए के अंतर्गत, पहली बार संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवाओं को रु. 15,000 तक की प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी। दूसरी किश्त एक अनिवार्य वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् ही दी जाएगी। यह युवाओं को दीर्घ अवधि की वित्तीय स्थिरता, बचत की आदत, और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से जुड़ाव के लिए प्रेरित करेगा।

भाग- बी नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई. पी. एफ़. ओ.) के अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों को नियुक्त करने पर रु. 1,000 से रु. 3,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह प्रोत्साहन देता है। रु.10,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों पर अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। यह लाभ सभी क्षेत्रों में दो वर्षों तक एवँ विनिर्माण क्षेत्र में चार वर्षों तक मान्य रहेगा। इसका उद्देश्य न केवल रोजगार सृजन है, बल्कि अर्थव्यवस्था के संगठित करने की प्रक्रिया (औपचारिककरण) को गति देना भी है, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से प्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित है।

अच्छे शासन के प्रमाण: रोजगार संकेतकों में सुधार

ई. ऐल. आई. योजना की पृष्ठभूमि में हम यह गर्व से कह सकते हैं कि भारत में युवा बेरोज़गारी दर में पिछले कुछ वर्षों में लगभग 50% की गिरावट दर्ज की गई है। आवधिक श्रम-बल सर्वेक्षण (पी. एल. एफ़. एस.) के आँकड़ों के अनुसार, स्नातक या उससे अधिक शिक्षित युवाओं (15–29 वर्ष) में श्रमबल भागीदारी दर 2017-18 के 34.8% से बढ़कर 2023-24 में 46.6% हो गई है। यह दर्शाता है कि भारत सरकार की नीतियाँ, चाहे वह कौशल-भारत अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी. एम. के. वी. वाई.), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एन. ए. पी. एस.) हों या या अन्य इसी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रयास, अपने लक्ष्य तक पहुंच रही हैं। यह सब रोजगार, सामाजिक और आर्थिक वृद्धि एवं विकास, और कौशल-विकास के लिए सरकार की अडिग प्रतिबद्धता का प्रतिफल है। ऐसे समय में जब श्रम-बाजार में युवा भागीदारी तेज़ी से बढ़ रही है, ई. ऐल. आई. योजना का शुभारंभ इन उपलब्धियों को और सुदृढ़ करने तथा श्रम बाज़ार में दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

समावेशी भारत की ओर एक ठोस कदम

ई. ऐल. आई. योजना केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं है, यह सामाजिक समावेशन और समानता का भी माध्यम है। यह योजना ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटती है, महिलाओं को प्रोत्साहन देती है, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम. एस. एम. ई.) के संवर्धन को भी बढ़ावा देती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। योजना की निगरानी ई. पी. एफ़. ओ. के डिजिटल प्लेटफॉर्म, यू. ए. एन. (UAN) और पैन (PAN) आधारित पहचान, तथा ई. सी. आर. (ECR) दाखिलियों के माध्यम से की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

नवभारत के निर्माण में उद्योग की भूमिका

ई. ऐल. आई. योजना, भारत के युवा को सम्मानजनक, संगठित और स्थिर रोजगार की दिशा में ले जाने वाली एक दूरदर्शी नीति है। यह योजना हमें जनसांख्यिकीय लाभांश से जन-समृद्धि की ओर अग्रसर करती है, एक ऐसा भारत जहां हर हाथ को काम और हर काम को गरिमा प्राप्त हो।

हर युवा भारतीय से यह एक वादा है कि राष्ट्र न केवल उनके श्रम को महत्व देता है, बल्कि उनके भविष्य में निवेश करता है और उन्हें केवल श्रमिक नहीं, बल्कि राष्ट्र पुनर्निर्माण के अग्रदूत के रूप में देखता है। नए भारत की व्यापक दृष्टि के तहत, ई. ऐल. आई. योजना हर नागरिक को अवसर, गरिमा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना एक ऐसे अर्थव्यवस्था की आधारशिला है जो प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ संवेदनशील और समावेशी भी हो।

हम सभी नियोक्ताओं, औद्योगिक संगठनों, और नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे आगे आकर इस योजना को सफल बनाएं। यह केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का निर्माण करने वाली साझेदारी है।

-

डॉ. मनसुख मांडविया

केंद्रीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार